सीएसआर को बेहतर बनाना: कंपनी अधिनियम संशोधन पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) संबंधित है।

द हिन्दू

17 अगस्त, 2019

"कॉर्पोरेट्स द्वारा किये जाने वाले गैर-अनुपालन को अपराधीकरण से हटाकर एक दीवानी अपराध बनाया जाना चाहिए।"

इसे पहली बार व्यवसाय द्वारा स्वैच्छिक योगदान के रूप में प्रोत्साहित किया गया था; छह साल पहले यह समाज में समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र के एक सह-विकल्प के रूप में विकसित हुआ और अब, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सीएसआर इंडिया इंक पर एक प्रतिबंध बन गया है।

संसद के अंतिम सत्र में कंपनी अधिनियम से संबंधित खण्डों के लिए किये गये महत्वपूर्ण संशोधनों के कारण अब सीएसआर मानदंडों का कंपनी के प्रमुख अधिकारियों द्वारा गैर-अनुपालन करने पर जेल के प्रावधान के साथ-साथ कंपनी पर 25 लाख तक का जुर्माना और अधिकारी पर 5 लाख का जुर्माना लग सकता है। कहा जाता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडिया इंक के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया था कि इस संशोधन की समीक्षा की जाएगी।

यहाँ आश्चर्यजनक बात यह है कि सरकार को सीएसआर कानून में संशोधन करने की इतनी जल्दी थी कि इसने इस मामले की जांच करने के लिए इसी विषय से संबंधित एक समिति भी गठित की थी। जैसा कि हम जानते है, कि कॉर्पोरेट मामलों के सचिव की अध्यक्षता वाली समिति ने 13 अगस्त को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन संसद में संशोधन पारित होने के बाद।

दंड के विशिष्ट मुद्दे पर, समिति ने प्रस्ताव दिया है कि गैर-अनुपालन को अपराधीकरण से मुक्त किया जाए और नागरिक अपराध बनाया जाए। समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि सीएसआर सामाजिक विकास के लिए साझीदार कंपनियों का साधन है और इस तरह के दंडात्मक प्रावधान सीएसआर की भावना के अनुरूप नहीं हैं। सीएसआर को व्यवसायों पर दूसरे कर के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

500 करोड़ रूपए की कुल संपत्ति या 1,000 करोड़ रूपए के टर्नओवर वाली कंपनी या 5 करोड़ रूपए के शुद्ध लाभ वाली प्रत्येक कंपनी को सामाजिक विकास पर पिछले तीन वर्षों में किए गए औसत मुनाफे का 2% खर्च करना चाहिए। 2013 में इस प्रावधान के लागू होने के बाद कई मिश्रित अनुभव प्राप्त हुए हैं। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अनुसार 2017-18 में, सीएसआर पर खर्च करने वाले उत्तरदायी लोगों में से आधे से अधिक ने सरकार को अपनी गतिविधि पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

अन्य आधे ने या तो अनुपालन नहीं किया या फाइल करने में विफल रहे। निजी कंपनियों द्वारा सीएसआर खर्च का औसत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के लिए 9.40 करोड़ की तुलना में सिर्फ 95 लाख था। सीएसआर पर खर्चों के लिए कर विराम देने का समिति का सुझाव समझ में आता है क्योंकि इससे कंपनियों को खर्च करने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है।

समिति ने यह भी सिफारिश की है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर अनिर्दिष्ट सीएसआर धन को एक निलंब लेखा (escrow account) में स्थानांतरित कर दिया जाए। यह माना जाना चाहिए कि सीएसआर एक कंपनी का मुख्य व्यवसाय नहीं है और इस चुनौतीपूर्ण समय में उनका ध्यान सामाजिक खर्चों के बजाय व्यवसाय केंद्रित होगो। सरकार को व्यवसायों को नियमों और विनियमों के साथ बांधने से बचना चाहिए, जो उन पर एक कठोर अनुपालन का बोझ डाल देते हैं।

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में कंपनी (संशोधन) बिल, 2019 को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित कर दिया गया है। यह विधेयक कंपनी एक्ट, 2013 में संशोधन करता है।
- जिसके बाद से निगम सामाजिक दायित्व या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) सुर्खियों में आ गया है।
- इस अधिनियम के जिन कंपनियों में सीएसआर का प्रावधान है, अगर वे सीएसआर की पूरी धनराशि का उपयोग नहीं करतीं तो उन्हें अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इसका खुलासा करना होगा।
- बिल के अंतर्गत सीएसआर की हर साल खर्च न होने वाली धनराशि वित्तीय वर्ष के छह महीनों के अंदर एक्ट की अनुसूची-7 के अंतर्गत आने वाली निधियों (जैसे-प्रधानमंत्री राहत कोष) में से किसी एक में हस्तांतरित हो जाएगी।

क्या है?

- जैसा कि हमें पता है कि कम्पनियाँ किसी उत्पाद को बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती हैं, प्रदूषण को बढ़ावा देती हैं और अपनी जेबें भरतीं हैं; लेकिन इस खराब प्रदूषण का नुकसान समाज में रहने वाले विभिन्न लोगों को उठाना पड़ता है, क्योंकि इन कंपनियों की उत्पादक गतिविधियों के कारण ही उन्हें प्रदूषित हवा और पानी का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन इन प्रभावित लोगों को कंपनियों की तरफ से किसी भी तरह का सीधे तौर पर मुआवजा नहीं दिया जाता है।
- इस कारण ही भारत सहित पूरे विश्व में कंपनियों के लिए यह अनिवार्य बना दिया गया कि वे अपनी आमदनी का कुछ भाग उन लोगों के कल्याण पर भी करें जिनके कारण उन्हें असुविधा हुई है। इसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) कहा जाता है।

भारत में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे में कौन कौन आता है?

- भारत में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के नियम 1 अप्रैल, 2014 से लागू हैं। इसके अनुसार जिन कम्पनियों की सालाना नेटवर्थ 500 करोड़ रुपये या सालाना आय 1000 करोड़ की या सालाना लाभ 5 करोड़ का हो, तो उनको CSR पर खर्च करना जरूरी होता है।
- यह खर्च तीन साल के औसत लाभ का कम से कम 2% होना चाहिए। CSR नियमों के अनुसार, CSR के प्रावधान केवल भारतीय कंपनियों पर ही लागू नहीं होते हैं, बल्कि यह भारत में विदेशी कंपनी की शाखा और विदेशी कंपनी के परियोजना कार्यालय के लिए भी लागू होते हैं।

CSR में क्या-क्या गतिविधियाँ की जा सकती हैं?

- CSR के अंतर्गत कंपनियों को बाध्य रूप से उन गतिविधियों में हिस्सा लेना पड़ता है, जो कि समाज के पिछड़े या वंचित वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए जरूरी हों।

इसमें निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल होती हैं:-

1. भूख, गरीबी और कुपोषण को खत्म करना।
2. शिक्षा को बढ़ावा देना।
3. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुधारना।
4. पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना।
5. सशस्त्र बलों के लाभ के लिए उपाय।
6. खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना।
7. राष्ट्रीय विरासत का संरक्षण।
8. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान।
9. स्लम क्षेत्र का विकास करना।
10. स्कूलों में शौचालय का निर्माण।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. हाल ही में कंपनी अधिनियम-2013 में संशोधन हेतु बिल संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया, नये संशोधनों के साथ इस बिल के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है?

(a) कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कंपनियों को हर साल खर्च न होने वाली धनराशि वित्तीय वर्ष के छः महीनों के अन्दर एक्ट की अनुसूची-7 के अन्तर्गत आने वाली निधियों में हस्तांतरित हो जायेगी।

(b) भारत में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नियम 1 अप्रैल, 2014 से लागू है।

(c) इसके अनुसार जिन कंपनियों की सालाना आय 1000 करोड़ रु. या सालाना नेटवर्थ 400 करोड़ रु. या 10 करोड़ का सालाना लाभ हो, उनको इसके दायरे में लाया गया है।

(d) कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आने वाली रकम तीन साल के औसत लाभ का कम-से-कम 2% होनी चाहिए।

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **Recently, the bill for amendment in the Companies Act-2013 was passed in both the houses of Parliament, with new amendments, which of the following statements regarding this bill is incorrect?**

(a) Under Corporate Social Responsibility, every year unspent funds will be transferred to the funds under Schedule 7 of the Act within six months of the financial year.

(b) The Corporate Social Responsibility Rules are in force in India from 1 April 2014.

(c) According to it, companies whose annual income is Rs. 1000 crore - or an annual net worth of Rs 400 crore - or 10 crore per annum, have been brought under its purview.

(d) The amount covered under Corporate Social Responsibility should be at least 2% of the average profit for three years.

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्नः कंपनी एक्ट, 2013 में कंपनी संशोधन बिल, 2019 द्वारा सी.एस.आर. को और मजबूती से लागू करने हेतु किये गये उपायों पर चर्चा कीजिए। **(250 शब्द)**

Q. Discuss the measures taken to implement CSR more firmly by the Companies Amendment Bill, 2019 in the Companies Act, 2013. **(250 Words)**

नोट : 16 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (d) होगा।